

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० - 46/2020(2020/00047)

अनवान : -

1. मयंक पुत्र सुदर्शनकुमार जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. सुदर्शनकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. लीना पुत्री सुदर्शनकुमार जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. सविता पत्नी सुदर्शनकुमार जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. महेन्द्रपाल पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

प्रतिवादीगण



दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी


श्री सुरेन्द्र मील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 28/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 डीपीएन के वर्तमान खाता संख्या 87/87 के मु०न० 57 के किला न० 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 सुदर्शनकुमार के नाम से 1/6 हिस्सा एवं चक 5 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 100/86 के मुरब्बा न० 22 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 25, मुरब्बा न० 23 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 24 मुरब्बा न० 34 के किला न० 1 ता 4, 10 मुरब्बा न० 35 के किला न० 1 ता 10 कुल 13.915 हैक्टेयर खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 सुदर्शनकुमार के नाम से 1/3 हिस्सा, चक 5 एमएसआर के वर्तमान खाता संख्या 56/57 के मुरब्बा न० 22 के किला न० 1/2, 10/3, 11/3 की 0.544 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 4 महेन्द्रपाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु हैं तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वाद भूमि जो प्रतिवादी सुदर्शनकुमार व महेन्द्रपाल के नाम दर्ज है वह सुदर्शनकुमार व महेन्द्रपाल को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली हुई है। वादी भूमि में वादीगण का भी प्रतिवादीगण के साथ जन्म से हक व हिस्सा


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी सुदर्शनकुमार व महेन्द्रपाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।


उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सुदर्शनकुमार व प्रतिवादी संख्या 4 महेन्द्रपाल को विरासतन प्राप्त हुई है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपना हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बराबर तर्क किया हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 1 सुदर्शनकुमार के नाम चक 8 डीपीएन के खाता संख्या 87/87 की 6.325 है० में 1/6 हिस्सा में व चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 100/86 की 13.915 है० 1/3 हिस्सा में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा व हक बराबर का है। चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 56/57 में प्रतिवादी संख्या 4 महेन्द्रपाल के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी मयंक पुत्र सुदर्शनकुमार जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में वाद भूमि की प्रमाणित जमाबन्दी चक 8 डीपीएन सम्वत 2072-75 खाता संख्या 87/87 प्रदर्श 1, जबान्दी चक 5 एमएसआर सम्वत 2074-77 खाता संख्या 56/57 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 5 एमएसआर सम्वत 2074-77 खाता संख्या 100/86 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया तथा प्रतिवादी सुदर्शनकुमार के नाम दर्ज चक 8 डीपीएन के खाता संख्या 87/87 में 1/6 हिस्सा व चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 100/86 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर करवाना चाहा है। प्रतिवादी संख्या 4 महेन्द्रपाल के नाम चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 56/57 में दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार घोषित करवाना चाहा है। जबकि चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 56/57 में स्थित भूमि प्रतिवादी सुदर्शनकुमार व महेन्द्रपाल को विरासतन में मिली हो, ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें हस्तगत वाद वादी रोही मौजा चक 8 डीपीएन के खाता संख्या 87/87 व चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 100/86 के अलावा चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 56/57 की भूमि पैत्रक होना व उसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा होना साबित नहीं है।

अतः वाद वादी आंशिक रूप से डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 8 डीपीएन के वर्तमान खाता संख्या 87/87 के मुरब्बा न० 57 के किला न० 1 ता 25 कुल किता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या सुदर्शनकुमार के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा व चक 5 एमएसआर के खाता संख्या 100/86 के मुरब्बा नम्बर 22 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 25, मुरब्बा न० 23 के किला न० 1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 24 मुरब्बा न० 34 के किला न० 1 ता 4, 10 मुरब्बा न० 35 के किला न० 1 ता 10 कुल 13.915 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 सुदर्शनकुमार के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उसमें वादी मयंक व प्रतिवादी संख्या 1 सुदर्शनकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
मादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
मादरा जिला हनुमानगढ़